



भारत सरकार
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो

अफीम कृषकों एवं लाभदायकों हेतु महत्वपूर्ण सूचना

जैसा कि विदित है कि भारत सरकार, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, द्वारा फसल वर्ष 2014-15 के लिए अफीम नीति प्रकाशित की जा चुकी है। उक्त नीति के तहत सभी पात्र कृषकों को अफीम पोस्ट हेतु लायसेंस दिया जाना है। अपात्र कृषकों की सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा रही है। साथ ही उक्त पात्र एवं अपात्र कृषकों की सूची विभागीय वेबसाइट www.cbn.nic.in पर भी प्रकाशित की जा रही है। पात्र किसानों से लायसेंस शुल्क के रूप में रुपये 25/- मात्र का भुगतान निर्धारित है। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या विभागीय अधिकारी/कर्मचारी अफीम लायसेंस दिलाने हेतु अवैध रकम की मांग करता है तो इसकी सूचना निम्नलिखित पते एवं टेलिफोन नम्बर पर दे सकते हैं। यदि शिकायतकर्ता चाहे तो उनका नाम गुप्त रखा जाएगा।

	फोन नंबर	फैक्स नम्बर
1. लोकायुक्त कोठी पैलेस, उज्जैन (म.प्र.)	0734-2512756	0734-2512756
2. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अन्वेषण परिसर, चार ईमली भोपाल	0755-2430303	0755-2430034
3. सतर्कता आयुक्त केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता भवन, नई दिल्ली - 110023	011-24651020	011-24651010
4. नारकोटिक्स आयुक्त, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, 19,मॉल रोड, मुरार ग्वालियर 474006(मप्र)	0751-2368121	0751-2368111
5. उप नारकोटिक्स आयुक्त केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नीमच	07423-220238	07423-220077, 227106